



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 170-2017/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, SEPTEMBER 25, 2017 (ASVINA 2, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 सितंबर, 2017

संख्या 87/एसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 54 की उपधारा (3) के परन्तुक के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 39/एस.टी.-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 39/एस.टी.-2 दिनांक 30 जून, 2017 में, सारणी में, क्रम संख्या 6 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"6क	5801	कॉरडरॉय फैब्रिक"
-----	------	------------------

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification

The 25th September, 2017

No:87/ST-2.— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 39/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the said notification, in the Table, under columns (1), (2) and (3), after serial number 6 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“6A	5801	Corduroy fabrics.”.
-----	------	---------------------

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.